न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 193/2022 तारीख रजू:—27.02.2022

जीसीएमएस नं0 2022/481

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	शीशराम	पिसरान जल्ली	जाति जाट निवासी पटौंदा
2.	दयाराम		
3.	बिरमा		तहसील हिण्डौन जिला करौली
4.	बीरेन्द्र		
5.	सिंगारी बेबा जल्ली		राजस्थान ———— सायलान

बनाम

1.	ओमप्रकाश पुत्र चिरंजी	जाति जाट निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन
2.	बलराम पुत्र श्यामसिंह	जिला करौली राजस्थान
3.	बुद्धिलाल	पिसरान मुख्त्यार जाति जाट निवासी पटौंदा
4.	मानसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
5.	तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— गैरसायलान	

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :— 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त अनवानी दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नं0 1201 रकबा 49 ऐयर, 1204 करबा 70 ऐयर, 1213 रकबा 04 ऐयर, 1262 रकबा 15 ऐयर, 1273 रकबा 19 ऐयर, 1396 रकबा 36 ऐयर, 363/1405 रकबा 16 ऐयर, 37 रकबा 11 ऐयर, 38 रकबा 06 ऐयर, 39 रकबा 15 ऐयर, 747 रकबा 47 ऐयर, 754 रकबा 22 ऐयर, 759 रकबा 03 ऐयर, 761 रकबा 41 ऐयर, 762 रकबा 42 ऐयर, 770 रकबा 08 ऐयर, 780 रकबा 04 ऐयर कुल किता 17 कुल रकबा 4.08 है0 स्थित ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन में सायलान 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 10.07.2022 को सायलान अपने हिस्से की सार सम्हाल कर रहे थे कि गैरसायलान एक राय होकर आये एवं कहने लगे कि तुम्हारे ास अधिक भूमि पर कब्जा है। इसलिए अब हम तुम्हारे वाले हिस्से को काश्त करेंगे और तुम हमारे हिस्से को काश्त करों, सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया कि भाईयों हमने पैसा लगाकर भूमि को समतल कराया है। खाद डालकर भूमि को उपजाउ बनाया है। अब तु इस पर कैसे कब्जा कर सकते हो। सायलान द्वारा गैरसायलान से उक्त आराजीयात के विधिवत बंटवारा करवाने को कहा गयाा जिस पर गैरसायलान द्वारा उक्त आराजीयात के विधिवत बंटबारा करने से मना कर दिया और कहा कि हम उक्त आराजीयात का बिधिवत बंटवारा नहीं करेंगे। हम तो भूमि की अदला–बदली करके ही काश्त करेंगे। सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया, मबर वे किसी की एक माने को तैयार नहीं हैं। इसलिए दावा एवं संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूवे में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाये जाने से कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेद्याज्ञा ताफैसला मुमदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात ख0नं0 1201, 1204, 1213, 1262, 1273, 1396, 363/1405, 37, 38, 39, 747, 754, 759, 761, 768, 770, 780 कुल किता 17 कुल रकबा 4.08 है0 ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन में बहिस्सा 1/2 से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें। नाही किसी अन्य से करावे। जिससे सायलान के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.01.2026 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 1201 रकबा 0.49 है0, 1204 करबा 0.70 है0, 1213 रकबा 0.04 है0, 1262 रकबा 0.15 है0, 1273 रकबा 0.19 है0, 1396 रकबा 0.36 है0, 363/1405 रकबा 0.16 है0, 37 रकबा 0.11 है0, 38 रकबा 0.06 है0, 39 रकबा

0.15 है0, 747 रकबा 0.47 है0, 754 रकबा 0.22 है0, 759 रकबा 0.03 है0, 761 रकबा 0.41 है0, 762 रकबा 0.42 है0, 770 रकबा 0.08 है0, 780 रकबा 0.04 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.08 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली की खातेदारी जल्ली पुत्र दुर्जन हिस्सा 1/2, बुद्धिलाल पुत्र मुख्त्यार हिस्सा 1/4, मानसिंह पुत्र मुख्त्यार हिस्सा 1/4 जाति जाट सा.ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1201 रकबा 0.49 है0, 1204 करबा 0.70 है0, 1213 रकबा 0.04 है0, 1262 रकबा 0.15 है0, 1273 रकबा 0.19 है0, 1396 रकबा 0.36 है0, 363/1405 रकबा 0.16 है0, 37 रकबा 0.11 है0, 38 रकबा 0.06 है0, 39 रकबा 0.15 है0, 747 रकबा 0.47 है0, 754 रकबा 0.22 है0, 759 रकबा 0.03 है0, 761 रकबा 0.41 है0, 762 रकबा 0.42 है0, 770 रकबा 0.08 है0, 780 रकबा 0.04 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.08 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में सायल सं0 1 ता 4 के पिता व सायल सं0 5 के पति जल्ली पुत्र दुर्जन हिस्सा 1/2 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं03 व 4 बहिस्सा बराबर हि0 1/2 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजीयात से गैरसायल सं01 व 2 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना मुताविक राजस्व रिकार्ड साबित नहीं होता है। सायल सं0 1 ता 4 के पिता व सायल सं0 5 के पति जल्ली पुत्र दुर्जन हिस्सा 1/2 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी साबित हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। सायलान का दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित

आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नं0 1201 रकबा 0.49 है0, 1204 करबा 0.70 है0, 1213 रकबा 0.04 है0, 1262 रकबा 0.15 है0, 1273 रकबा 0.19 है0, 1396 रकबा 0.36 है0, 363/1405 रकबा 0.16 है0, 37 रकबा 0.11 है0, 38 रकबा 0.06 है0, 39 रकबा 0.15 है0, 747 रकबा 0.47 है0, 754 रकबा 0.22 है0, 759 रकबा 0.03 है0, 761 रकबा 0.41 है0, 762 रकबा 0.42 है0, 770 रकबा 0.08 है0, 780 रकबा 0.04 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.08 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली